कार्यालय जनपद पंचायत मनासा
जिला नीमच (म.प्र.)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) -:

शासन द्वारा प्रदेष में ग्रामीण क्षेत्रों में **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)** चलाया जा रहा है। इसके लिये घरो में व्यक्तिगत पारिवारिक षौचालय निर्माण हेतु दिनांक 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत शौचालय निर्माण करने पर वेब पोर्टल पर दर्ज शौचालय विहीन हितग्राही को 12000/– प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती हैं। उक्त प्रोत्साहन राशि केवल उन्हीं हितग्राहियों को जिनके द्वारा शौचालय निर्माण मय वॉशबेसिन, पानी टंकी, आदि अन्य पूर्ण होने पर ही प्रोत्साहन राशि प्रदान की जावेगी।

पात्र हितग्राही :–

- सभी बी.पी.एल परिवार।
- ए.पी.एल परिवार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति लघु व सीमांत कृषक , भूमिहीन परिवार, शारीरिक रूप से निःशक्त जनों के परिवार तथा महिला मुखिया वाले परिवार।
- पूर्व में लाभान्वित हितग्राही को पुनः योजनान्तर्गत लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) वर्ष 2015-16

क्रं	बी.पी.एल. लक्ष्य	बी.पी.एल. उपलब्धी	ए.पी.एल. लक्ष्य	ए.पी.एल. उपलब्धी	बी.पी.एल.एवं ए.पी.एल.लक्ष्य	बी.पी.एल.एवं ए.पी.एल.उपलब्धी
1	2	3	4	5	6	7
1	3144	1682	3329	2233	6473	3915

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन -:

ग्रामीण आवासीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए, माननीय मुख्यमंत्रीजी की पहल पर विधान सभा में पारित संकल्प क्रं.61 (2010) के अनुरूप मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन का आरंभ करने का निर्णय लिया गया था। माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा 22 फरवरी 2011 को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन का शुभारंभ किया गया था, तब से यह मिशन लगातार प्रगतिरत हैं।

यह एक पूर्णतः **''मांग आधारित स्वभागीदारी ऋण–सह–अनुदान''** योजना है। मिशन अन्तर्गत हितग्राही द्वारा, विभिन्न अभिन्यासों के अनुरूप स्वंय आवास का निर्माण किया जाता है। हितग्राही को पात्रतानुसार ऋण पुनभुगतान क्षमता के आधार पर बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है।

पात्रता :–

- अधिकतम एक हेक्टेयर कृषि भूमि धारक परिवार ।
- रू. 1.25 लाख अधिकतम आय सीमा के ग्रामीण परिवार।
- हितग्राही जिसके पास भू–खण्ड उपलब्ध है, अथवा वह भू–खण्ड प्राप्त करने की पात्रता रखता हैं।
- व्यस्क परिवार जिसका स्वंय का कोई आवास सामान्यतः निवासरत ग्रामीण क्षेत्र में न हों, आदि अन्य।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन
वर्ष 2015–16

क्र.	जिला	वार्षिक लक्ष्य	ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित हितग्राही संख्या	भूमि स्वामित्व का प्रकार (पूर्व पट्टा धारी + भू–स्वामी अधिकार प्रमाण–पत्र + नवीन पट्टा धारी)	पात्र पाये गये प्रकरण संख्या	कुल प्रेषित प्रकरण	कुल स्वीकृत प्रकरण	स्वीकृत का प्रतिशत	कुल वितरित प्रकरण	वितरण का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	मनासा	1050	1818	1836	1792	1792	1281	**71.48**	**1168**	**111.24**

पेंशन योजना -:

मध्यप्रदेश शासन "बहुजन हिताय बहुजन सुखाय " के सिद्धान्त पर चलते हुए मध्यप्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन वर्ग, वृद्ध, श्रमिक संवर्ग, निःशक्तजनों के हेतु विभिन्न हितग्राहियों मूलक पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा हैं। जो निम्नानुसार हैं-

क्रं.	पेंशन योजना	पात्रता
01	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होने चाहिए । आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए । हितग्राही को प्रतिमाह उसकी वर्तमान आयु के अनुसार कम से कम 200/- रू, अधिकतम 500/- रू, दर से पेंशन केन्द्रांश मद से प्रदाय की जा रही है।
02	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन	आवेदक की आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष की होगी । आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए । निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) 1995 तथा द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आर्टिज्म, सेरेब्रल पालसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, 1999 के अनुसार 80 प्रतिशत नि:शक्तएता एवं सीबीयर डिसेबिलिटी होना चाहिए । निःशक्त हितग्राही को प्रतिमाह 300 रु0 की दर से पेंशन केन्द्रांश मद से प्रदाय की जा रही है।
03	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होगी । आवेदिका को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए । विधवा महिला हितग्राही को प्रतिमाह 300 रु0 की दर से पेंशन केन्द्रांश मद से प्रदाय की जा रही है ।

04	बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजन को आर्थिक सहायता !	मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो । 6 वर्ष से अधिक आयु का हो। बहुविलांग/मानसिक रूप से अविकसित हो (मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणीकरण किया गया हो)। हितग्राही को प्रतिमाह 500 रु. की दर से पेंशन राज्य सरकार मद से प्रदाय की जा रही है।
05	कन्या अभिभावक पेंशन योजना	योजना अंतर्गत हितग्राही दम्पपति को रू. 500/- की सहायता राशि प्रतिमाह ।
06	सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना	60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध । ऐसे समस्त हितग्राहियों को रु0 150/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन प्रदाय की जा रही है ।
07	सामाजिक सुरक्षा विधवा पेंशन योजना	18 वर्ष से अधिक किंतु 39 वर्ष आयु तक की विधवा महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो। 18 वर्ष से अधिक किंतु 59 वर्ष तक आयु की परित्यमक्ताब महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो। ऐसे समस्त हितग्राहियों को रु0 150/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन प्रदाय की जा रही है ।
08	सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना	4 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित नि:शक्ता व्यक्ति जिसकी नि:शक्तिता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हों। ऐसे समस्त हितग्राहियों को रु0 150/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन प्रदाय की जा रही है ।
09	सामाजिक सुरक्षा CWSN पेंशन योजना	6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के नि:शक्तय व्याक्ति जिसकी नि:शक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हैं तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो। ऐसे समस्त हितग्राहियों को रु0 150/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन प्रदाय की जा रही है ।

- **पेंशन की स्थिति का अवलोकन** http://pensions.samagra.gov.in/ **वेब पोर्टल पर जाकर "D पारदर्शी प्रशासन" के बिन्दु क्रमश: डाउनलोड पेंशन स्वीकृति आदेश /सभी पेंशनर /स्वीकृत पेंशन आर्डर/पेंशनर का पासबुक देखे की सहायता से किया जा सकता हैं।**

जनपद पंचायत मनासा, जिला-नीमच (म.प्र.)
पेंशन राशि गोषवारा फरवरी –2016

मांग संख्या	पोस्ट आफिस									
	सामाजिक सुरक्षा पेंशन		वृद्धावस्था पेंशन		विकलांग पेंशन		विधवा पेंशन		योग	
15	4	600	10	3800	1	300	17	5100	**32**	**9800**
52	0	0	16	5450	2	600	25	7500	**43**	**13550**
74	17	2550	46	16550	4	1200	46	13800	**113**	**34100**
योग :–	**21**	**3150**	**72**	**25800**	**7**	**2100**	**88**	**26400**	**188**	**57450**

मांग संख्या	नेशनल बैंक/अन्य बैंक									
	सामाजिक सुरक्षा पेंशन		वृद्धावस्था पेंशन		विकलांग पेंशन		विधवा पेंशन		योग	
15	184	27600	790	235550	86	25800	706	211800	**1766**	**500750**
52	47	7050	304	91850	38	11400	427	128100	**816**	**238400**
74	992	148800	2394	718200	358	107400	2493	747900	**6237**	**1722300**
योग :–	**1223**	**183450**	**3488**	**1045600**	**482**	**144600**	**3626**	**1087800**	**8819**	**2461450**

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना -:

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना 2007 के अन्तर्गत पंजीबद्ध मजदूरों के परिवार के लिए निम्न सामाजिक सहायता प्रदान की जाती हैं -

क्रं.	पैंशन योजना	पात्रता
01	प्रसुति सहायता ।	पंजीबद्ध महिला मजदूर को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिये निम्नानुसार 3 लाभ प्रदान किये जायेंगे :- छह सप्ताह की मजदूरी के समतुल्य राशि । पितृत्व अवकाश के रूप में शिशु के पिता द्वारा अर्जित हो रही 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि। प्रसूति व्यय के रूपये 1000/- नगद। (यदि प्रसूति व्यय जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत प्राप्त हो रहा है तो इस योजना के अन्तर्गत यह भुगतान नहीं किया जावेगा)
02	छात्रवृत्ति/मेघावी छात्र पुरूस्कार ।	पंजीबद्ध मजदूरों के बच्चों को छात्रवृत्ति/मेघावी छात्र पुरूस्कार का लाभ आदिम जाति एवं अनूसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा उनकी योजना में निर्धारित मापदंड के अनुसार प्राप्त होगा । निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित शाला/महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अग्रेषित किया जाने पर छात्रवृत्ति/मेघावी छात्र पुरूस्कार जनपद पंचायत द्वारा स्वीकृत किये जायेगें ।
03	विवाह सहायता ।	पंजीबद्ध महिला मजदूर के विवाह/एक बार पुर्नविवाह एवं पंजीबद्ध मजदूर की दो पुत्रियों की सीमा तक न्यूनतम 5 महिला मजदूरों के सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में रूपयें 6000/- प्रति विवाह सहायता देय होगी।
04	चिकित्सा सहायता ।	पंजीबद्ध मजदूरों के परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने की दशा में भर्ती होकर शासकीय अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों में होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम रूपयें 20000/- की सीमा तक प्रति परिवार प्रतिवर्ष स्वीकृत की जायेगी। इस हेतु "दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना" के नियम व मापदण्ड लागू होगें ।
05	दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह सहायता।	पंजीबद्ध मजदूर की मृत्यु होने की दशा में अंत्येष्टि के लिये दो हजार रूपये की अनुग्रह सहायता उपलब्ध करायी जावेगी । आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार की ओर से प्रीमियम की राशि स्वंय जमा कराई जायेगी तथा दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर तथा दुर्घटना के कारण स्थाई अपंगता होने पर उक्त योजना के अन्तर्गत पात्रता अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जावेगी।

भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल -:

प्रदेश के निर्माण मजदूरों की विशिष्ट पहचान के लिये शासन द्वारा भवन तथा अन्य संनिर्माण कार्य से जुड़े हुये श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा तथा उनके आर्थिक हित संवर्धन हेतु परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिये कल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई हैं, जो कि निम्नानुसार हैं -

जैसे पत्थर काटने/तोड़ने व पीसने वाले/राज मिस्त्री अथवा ईंटो का रददा करने वाले,/ बढ़ई, पुताई करने वाले,/ फिटर या बार बैंडर,/ सडके पाईप मरम्मत करने वाले,/ इलेक्ट्रीशियन,/ मैकेनिक,/ कुए खोदने वाले,/ वेल्डिंग करने वाले,/ मुख्य मजदूर,/ मजदूर,/ स्प्रेमेन या मिक्सर मेन,/ लकड़ी अथवा पत्थर पेक करने वाले,/ कुए की गाद हटाने वाले,/ हथोड़ा चलाने वाले,/ छप्पर डालने वाले,/ मिस्त्री,/ लौहार,/ लकड़ी चीरने वाले,/ कॉलकर, पम्प आरपेरटर,/ रोलर चालक,/ मशीनरी-पुल के कार्य में लगे खल्लासी,/ चौकीदार,/ मोजाइक पालीश करने वाले,/ सुरंग कर्मकार,/ संगमरमर/कडप्पा पत्थर कर्मकार,/ सडक कर्मकार,/ चटटान तोडने वाले या खनिज कर्मकार,/ सनिर्माण कार्य में जुडे मिटटी का कार्य करने वाले,/ चुना बनाने की क्रिया में लगा कर्मकार,/ आदि अन्य ।

ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है -

क्रं.	योजना	संक्षिप्त विवरण
01	प्रसुति सहायता योजना ।	निर्माण श्रमिक चाहे पुरूष या स्त्री, पति हो या पत्नी में से कोई भी निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयत है तो उसे योजना का लाभ प्राप्त होगा । ग्रामीण क्षेत्रों के लिये प्रसूति होने के दिनांक से अधिकतम 60 दिन के भीतर, जनपद पंचायत को निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट - तीन में आवेदन प्रस्तुत करना होगा । ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा अध्यक्ष जनपद पंचायत की अनुमति अथवा अनुमति की प्रत्याशा में प्रकरण को स्वीकृत कर सकेगें।
02	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना ।	योजना के प्रावधानअनुसार छात्र/छात्राएं जो कि कक्षा 01 से स्नात्कोत्तर, पी.एच.डी. या शोध कार्य तक आदि की शिक्षा शासकीय अथवा केन्द्र/राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में प्राप्त कर रहे हो को शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि की पात्रता होगी । योजना अन्तर्गत छात्रों को वार्षिक प्रोत्साहन राशि न्यूनतम 500/- रू एवं अधिकतम 4000/- रूपयें हैं । इसी प्रकार छात्राओं को वार्षिक प्रोत्साहन राशि न्यूनतम 750/- रू एवं अधिकतम 5000/- रूपयें हैं ।

क्रं.	योजना	संक्षिप्त विवरण
03	मेघावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरूस्कार योजना ।	योजना के प्रावधानअनुसार परिवार की दो संतानों की सीमा के अध्याधीन रहते हुए पंजीकृत निर्माण कर्मकारों की ऐसी समस्त संताने जिन्होंने उक्तानुसार परीक्षाओं में से कोई भी परीक्षा प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हों । योजना अन्तर्गत छात्रों को वार्षिक प्रोत्साहन राशि न्यूनतम 500/- रू एवं अधिकतम 4000/- रूपयें हैं । इसी प्रकार छात्राओं को वार्षिक प्रोत्साहन राशि न्यूनतम 750/- रू एवं अधिकतम 5000/- रूपयें हैं ।
04	विवाह हेतु सहायता योजना ।	मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता । संबंधित को विवाह की प्रस्तावित तिथि के एक माह पूर्व जनपद पंचायत को निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट पॉच में आवेदन करना होता हैं ।
05	चिकित्सा सहायता/दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना ।	उक्त योजना के अन्तर्गत सिर्फ आंतरिक रोगियों को ही योजनान्तर्गत लाभ स्वीकृत किया जाता हैं, बाहय रोगियों को कोई सहायता देय नहीं । जनपद पंचायत को निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट तीन में आवेदन प्रस्तुत करना होता हैं । 15000/- रूपयें तक की राशि स्वीकृति के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अध्यक्ष जनपद पंचायत की अनुमति अथवा अनुमति की प्रत्याशा में है ।
06	मृत्यु की दशा में अंत्येष्टी सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना।	पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु की दशा में समान रूप से 25000/- अनुग्रह राशि तथा 3000/- रू. अंत्येष्टी सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी । 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक जिनका धारा 12 के अन्तर्गत पंजीयन होगा, इस योजना के लिए पात्र होगें । जनपद पंचायत को निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट-छः में आवेदन प्रस्तुत करना होता हैं ।
07	आवास ऋण सहायता योजना।	श्रमिक का पंजीयन न्यूनतम 6 वर्ष से अधिक हो तथा हिताधिकारी के रूप में जारी परिचय पत्र में उनके द्वारा किया गया कार्य का विवरण प्रति वर्ष दर्ज हो । इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु विकलांग, विधवा, विकास योजनाओं के कारण विस्थापित श्रमिक को प्राथमिकता दी जावेगीं ।

क्रं.	योजना	संक्षिप्त विवरण
08	पेंशन सहायता योजना	योजना के अन्तर्गत पंजीबद्ध श्रमिक को वृद्धावस्था में अथवा किसी दुर्घटना में पूर्ण विकलांग हो जाने पर कार्यक्षमता समापत हो जाने की दशा में नियमित पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता से लाभांवित किया जाएगा । पंजीबद्ध श्रमिक की आयु 60 वर्ष हो गई हो । पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उसकी जीवित विधवा/विधुर को ।

जनपद पंचायत मनासा अन्तर्गत भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की निम्न योजना अन्तर्गत हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है -

क्र.	योजना का नाम	लाभांवित हितग्राही संख्या	राशि रूपयें
01	विवाह हेतु सहायता योजना ।	43 हितग्राही	**1075000/-**
02	मृत्यु की दशा में अंत्येष्टी सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना।	10 हितग्राही	**280000/-**
	कुल योग :-	53 हितग्राही	**1355000/-**

// गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की जानकारी //

दिनांक 11/03/2016 की स्थिति में

क्रमांक	वर्ष 2002-03 के सर्वे अनुसार परिवारों की संख्या	दावें आपत्ति में जोड़े गए परिवारों की संख्या	दावे आपत्ति में काटे गए परिवारों की संख्या	शेष पात्र परिवारों की संख्या
01	22500	7166	916	28750